न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 139/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/237)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी :–

मंगलाराम पुत्र किरताराम जाति लोहार, निवासी ग्राम बिरडावास, ग्राम पंचायत बिरामी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ताः–

1. देवाराम पुत्र किरताराम
2. सुराराम पुत्र किरताराम
3. हडमानराम पुत्र किरताराम
4. ओमाराम पुत्र देवाराम
   जातियान लोहार, निवासीगण ग्राम बिरडावास, तहसील व जिला जोधपुर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत बिरामी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बिरामी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।
7. विकास अधिकारी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा बुक सं. 108 पट्टा क्रम संख्या 13 दिनांक 11.12.2010 जो कि ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गोदारा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

पंचायत निगरानी सं.– 140/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/236)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

मंगलाराम पुत्र किरताराम जाति लोहार, निवासी ग्राम बिरडावास, ग्राम पंचायत बिरामी, तहसील व जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. देवाराम पुत्र किरताराम
2. सुराराम पुत्र किरताराम
3. हडमानराम पुत्र किरताराम
4. ज़गदीश पुत्र देवाराम

   जातियान लोहार, निवासीगण ग्राम बिरडावास, तहसील व जिला जोधपुर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत बिरामी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बिरामी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।
7. विकास अधिकारी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा बुक सं. 108 पट्टा क्रम संख्या 14 दिनांक 11.12.2010 जो कि ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गोदारा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.06.2025**

1. उक्त दोनों निगरानियां राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा दिनांक 11.12.2010 को जारी आवासीय भूमि का पट्टा सं. 13 व 14 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 08.08.2023 को पेश की गई है। दोनों ही निगरानी में समान तथ्य, समान आधार व समान विषय वस्तु एवं समान विधि का प्रश्न अंतर्वलित होने से सुविधा की दृष्टि से दोनों पक्षकारों की सहमति से इन्हे कन्सोलिडेट करके, एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।
2. प्रकरण के तथ्य निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार इस प्रकार है कि निगरानीकार व अप्रार्थी के पिता किरताराम का पुश्तैनी आबादी सुदा जायदाद ग्राम बिरडावास, ग्राम पंचायत बिरामी में आई हुई है। जिस पर किरताराम का कब्जा होने से, किरताराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी मंगलाराम, अप्रार्थी देवाराम,

उपखण्ड जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सुराराम व हडमानराम पुत्रान् किरताराम का कब्जा चला आ रहा है परन्तु किरताराम के एक पुत्र देवाराम ने ग्राम पचांयत के अधिकारियो/सरपंच से मिलावट करके अपने पुत्र अप्रार्थी जगदीश व ओमाराम के पक्ष में फर्जी पट्टे जारी करवा लिये है तथा अब देवाराम अकेला ही किरताराम की संपूर्ण जायदाद पर हक जता रहा है। ग्राम पंचायत ने देवाराम के पुत्रों के नाम अकेले ही पट्टा जारी करके गैर कानूनी कृत्य किया है। ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी करने में विधि अनुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं की है। जारी किये गये पट्टो का विवरण इस प्रकार हैः-

1. जगदीश पुत्र देवाराम के नाम पट्टा बुक सं. 108 में पट्टा सं. 14 दिनांक 11.12.2010 को नियम 157(2) के तहत प्ररूप 23 ख में 950.62 वर्गफीट (105.62 वर्गगज) निःशुल्क जारी किया गया है।
2. ओमाराम पुत्र देवाराम के नाम पट्टा बुक सं. 108 में पट्टा सं. 13 दिनांक 11.12.2010 को नियम 157(2) के तहत प्ररूप 23ख में 1035 वर्गफीट (115 वर्गगज) निःशुल्क जारी किया गया है।

3. अपील सं. 139/2025 में अप्रार्थी सं. 2 सुराराम की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गोंदारा, अप्रार्थी सं. 4 श्री ओमाराम की ओर से अधिवक्ता श्री रामसुख शर्मा व अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा तथा अपील सं. 140/2025 में अप्रार्थी सं. 2 सुराराम की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गोदारा, अप्रार्थी सं. 1 देवाराम व अप्रार्थी सं. 4 जगदीश की ओर से श्री रामसुख शर्मा व राकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे गए, जिसकी डिलीवरी की रिपोर्ट प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई, जिसे पर्याप्त तामिल माना जाता है। बावजूद नोटिस अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. निगरानीकार श्री मंगलाराम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत बिरामी ने ओमाराम व जगदीश के नाम से पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। पत्रावली (मिसल) दिनांक 20.09.2010 को खोली गई है जबकि अंकन दिनांक 05.02.2010 को किया है। दोनों पट्टे फर्जी व मनगढंत है मिसल बाद में खुली है। पहले पट्टा सं. 11 व 12 का प्रपत्र भरा है, जिसे निरस्त करके बाद में पट्टा सं. 13 व 14 का प्रपत्र भरा है। पट्टा सं. 11 व 12 में क्रोस लाईन खींचकर निरस्त किये है, तीनो परते पट्टा बुक में मौजूद है

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तथा पुनः जारी किये गये पट्टा सं. 13 व 14 की दोनों परते पट्टा बुक में मौजूद है। अतः फर्जी पट्टों को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी सं. 2 श्री सुराराम की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गोदारा ने प्रार्थी/निगरानीकार का समर्थन किया तथा कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी आबादी भूमि पर अकेले देवाराम के पुत्रों ओमाराम व जगदीश के पक्ष में गलत पट्टे जारी किये है, जिसे निरस्त किया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

7. अन्य अप्रार्थीगण की ओर से किसी ने भी बहस नहीं की। अतः मेरिट पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर अध्ययन किया। ग्राम पंचायत बिरामी से प्राप्त अभिलेख–बैठक विवरण–कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा बुक तथा मिसल सं. 01/2010–11 ओमाराम पुत्र देवाराम गाडिया लोहार तथा मिसल सं. 02/2010–11 जगदीश पुत्र देवाराम गाडिया लोहार का भली भांति अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का अंवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार हैः–

a) ग्राम पंचायत बिरामी की बैठक दिनांक 20.09.2010 की कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव सं. 1 आबादी भूमि में कब्जासुद मकानों के पट्टे बनाने हेतु राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के नियम 145 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करना बताया है तथा नियम 146(1) के तहत मिसले दर्ज करने तथा भूमि के स्थल का निरीक्षण करने हेतु सचिव, वार्ड पंच अमर सिंह, बुलसाराम व श्रीमती लक्ष्मी को नियुक्त किया है, परंतु इस विवरण में आवेदन कर्ताओं के नाम अंकित नहीं है तथा पट्टे जारी करने से संबंधित लिखावट बाद में जोडी जाना परिलक्षित होती है।

दिनांक 23.09.2010 को कमेटी ने मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की।

b) कमेटी की रिपोर्ट दिंनाक 20.10.2010 को ग्राम पंचायत की बैठक में पेश की तथा प्रस्ताव पारित कर मिसल सं. 01 एवं 02 में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया तथा नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसकी पालना में प्ररूप 22 में दिनांक 20.10.2010 को पडौस दर्शाते हुए नोटिस जारी किये है, जो दिनांक 20.10.2010 को ग्राम पंचायत को नोटिस बोर्ड व मौका स्थल पर इन्द्रसिंह व जगदीशराम की उपस्थिति में चस्पा किये गये हे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) दिनांक 22.11.2010 की ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मिसल सं. 1 व 2 में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने के कारण 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टे जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है, परंतु बैठक विवरण रजिस्टर में उक्त आशय का प्रस्ताव अलग स्याही व हस्त लिखावट से बाद में अंकित किया गया है, जो लिखावट देखने मात्र से ही रोशन है।

d) दिनांक 06.12.2010 को गवाहों के बयानों को लिखा जाकर, सन् 2003 से अधिक का पुराना कब्जा होने व प्रार्थीगण गाडिया लोहार होने से नियम 157(2) में निःशुल्क भूमि विक्रय का प्रस्ताव पारित किया है तथा रजिस्टर में भी यह प्रस्ताव अलग स्याही व हस्त लिखावट से अंकित किया गया है, जो देखने मात्र से ही दृष्टिगोचर होता है।

e) पट्टा बुक सं. 108 का अवलोकन किया गया। यह बुक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी द्वारा जारी की गई है तथा यह बुक राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 152(2) (157 Sic) के अंतर्गत प्रारूप 23 ख "विक्रय के लिए नहीं" के प्रपत्रों की है, जिसमें पट्टा सं. 11 ओमाराम पुत्र देवाराम के नाम भरा गया है इसी प्रकार पट्टा सं. 12 जगदीश पुत्र देवाराम के नाम भरा है। पट्टे की तीनों परते बुक में मौजुद है, परंतु इन प्रपत्रों पर किसी के भी हस्ताक्षर, मोहर नहीं है तथा लाल स्याही से क्रोस लाईने खींची हुई है। परंतु गांव का नाम मियासनी लिखकर काटा है तथा बाद में बिरडावास लिखा है।

इसके पश्चात् पट्टा सं. 13 ओमाराम पुत्र देवाराम के नाम 115 वर्ग गज का दिनांक 11.12.2010 को सरपंच व ग्राम सेवक/सचिव के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। जिसे निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश की है। इसी प्रकार पट्टा सं. 14 जगदीश पुत्र देवाराम के नाम 105.62 वर्गगज का दिनांक 11.12.2010 को जारी किया गया है, जिसे निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश हुई है। उक्त दोनों पट्टे नियम 157(2) के तहत निःशुल्क जारी किये गये है तथा पट्टो पर मिसल सं. तथा उसे दायर करने की तारीख खाली छोडी गई है। इस पट्टा बुक सं. 108 में पट्टा सं. 15 से 50 तक के प्रपत्र रिक्त है अर्थात् दिनांक 10.12.2010 के बाद कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है तथा पट्टा सं. 1 से 10 तक भी भरकर निरस्त किये गये है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात् पूरी बुक में मात्र पट्टा सं. 13 व 14 ही जारी किये गये है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

9. (a)राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग ने अधिसूचना कमांक F4(7)PRD/LAW/Rule-AMD/07/1166 Dated 09-04-2007 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1957 में उपनियम (2) निम्नानुसार जोडा है:–

"(2) Families who do not have any house or house site anywhere and are in possession of abadi land by way of construction of hutment/Kacha house upto year 2003, shall be entitled for regularisation of possession maximum up to 300 Yards free of cost. The Patta of Such land shall be issued in the name of woman head of such family."

(b) अधिसूचना कमाक एफ.4(11)पी.आर.डी./लॉ/रूल/एमेण्ड/07/445 दिनांक 01.02.2008 से उक्त नियम 157(2) के तहत पट्टा प्रारूप–"23–ख" मे जारी करने का प्रावधान करते हुए प्रारूप "23–ख" निर्धारित किया है, जिसमें आक्षेपित दोनों पट्टे जारी किये गये है तथा नियमित की गई भूमि विक्रय योग्य नहीं है। उक्त अधिसूचना दिनांक 01.02.2008 अनुसार नियम 157(1) में जारी होने वाला पट्टा प्रारूप '23क' में, 157(2) में जारी होने वाला पट्टा प्रारूप 23–ख में तथा नियम 158 के अंतर्गत जारी होने वाला पट्टा प्रारूप 23–ग में होगा (रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन)।

(c) प्रारूप "23–ख" (नियम 157(2)) के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि इसमें पट्टा सिर्फ महिला के नाम से ही जारी किया जा सकता है तथा पट्टे में कई शर्ते विहित की गई है परंतु आक्षेपित पट्टा सं. 14 व 13 प्रारूप 23–ख में नियम 157(2) के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी नहीं करके देवाराम के पुत्र. ओमाराम व जगदीश के नाम जारी किया गया है जो स्पष्टतः नियम 157(2) के आज्ञात्मक प्रावधानों का उल्लंघन है तथा एक पुरुष व्यक्ति को सन् 2003 तक के निर्मित भवनों के आधार पर छूट नहीं दी गई है। पुरूषों के लिए अनुमत छूट दिनांक 30.12.1996 से पिछले 50 वर्षों की अवधि के दौरान निर्मित मकानों बाबत ही छूट दी है। अतः ओमाराम व जगदीश के नाम प्रारूप 23–ख में पट्टा गलत जारी हुआ तथा नियम 157(1) के तहत पट्टा प्रारूप–23–क में जारी होता है।

(d) उपरोक्त के अतिरिक्त निगरानीकर्ता आक्षेपित भूमि पर उसके पिता किरताराम का पुश्तैनी कब्जा बता रहा है, परंतु साक्ष्य से इस तथ्य को साबित नहीं किया है।

(e) इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत बैठक कार्यवाही में समय–समय पर दिनांक 20.09.2010, 20.10.2010, 22.11.2010 एवं 06.12.2010 को अंकित कार्यवाही विवरण, अन्य विवरण से अलग स्याही व अन्य व्यक्ति की हस्तलिखित है,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

जो संदिग्ध है। पट्टा पर मिसल संख्या व दायरा तारीख भी अंकित नहीं है। पट्टा सं. 1 से 12 तक को खाली प्रपत्रों में भरकर निरस्त किये है।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार व विश्लेषणानुसार प्रत्यर्थी सं. 4 ओमाराम व जगदीश के पक्ष में नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23–ख में जारी किये गये पट्टे कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा निगरानियां स्वीकार योग्य है। अतः निगरानियां स्वीकार की जाती है।

आदेश

11. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा ग्राम बिरडावास की आबादी भूमि में–

a) पट्टा बुक सं. 108 पट्टा सं. 13, मिसल सं. 01/2010–11, बहक ओमाराम पुत्र देवाराम गाडिया लोहार बनाप 115 वर्गगज दिनांक 11.12.2010 को आवासीय पट्टा प्रारूप 23–ख (नियम 157(2)) में जारी को खारिज किया जाता है।

b) पट्टा बुक सं. 108 पट्टा सं. 14, मिसल सं. 02/2010–11, दिनांक 11.12.2010 बनाप 105.62 वर्गगज, बहक जगदीश पुत्र देवाराम गाडिया लोहार को जारी पट्टा खारिज किया जाता है।

c) ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा उक्त (a) व (b) में वर्णित पट्टो को जारी करने बाबत पारित संकल्प दिनांक 20.09.2010, 20.10.2010, 22.11.2010 व 06.12.2010 अपास्त किये जाते है।

12. निर्णय की प्रति के साथ समस्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत बिरामी पं.स. लूणी को अविलंब लौटाया जावे। अन्य लंबित प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते है।

13. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर